कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cfgumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)

पत्रांक 2141 / दिनांक 19/12/2022

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा।

विषय :— मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा— बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1259 दिनांक 13.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके पत्रांक 2674 दिनांक 30.09.2022 से मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा— बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया था। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 1955 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को समर्पित की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक 1259 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा विषयक परियोजना हेतु समर्पित प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त त्रुटियाँ एवं कमियाँ पाये जाने के सूचना देते हुये प्रस्ताव पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को वापस करते हुये त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पुनः उपलबध कराने की माँग की गई है।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुये निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित त्रुटियों / कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अगेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

अनु0 :— प्रस्ताव की मूल 06 प्रतियाँ।

19/12/22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

19/12

Received
21/12/22

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड – 834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 1259 दिनांक– 13/12/2022

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन संरक्षक प्रदेशिक अंचल, गुमला।

विषय :– **मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा– बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 1955 दिनांक 23.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयक परियोजना हेतु समर्पित प्रस्ताव की समीक्षोपरांत निम्नांकित त्रुटियों/कमियाँ परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फार्म –ए पार्ट –। अपलोड नहीं किया गया है।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पार्ट –।। अपलोड नहीं किया गया है।
3. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट मैप (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप की (रंगीन एवं अरेखन सहित) संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी (Land Schedule) संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ Layout Plan संलग्न नहीं है।
7. राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित भूमि अनुसूची संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में नहीं है।
9. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा/आम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।
10. प्रस्तावित अधिसूचित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित समतुल्य 7.69 हे0 गैर–वनभूमि का नक्शा, DGPS, टोपोमैप शीट संख्या एवं रंगीन तथा अरेखन मान्य है। उक्त गैर–वनभूमि का KML file (CD में), वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न नहीं है।
11. Purpose-wise breakup at forest land संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
12. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वनभूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की प्रजातिवार Girth-wise गणना सूची सारांश में संबंधित वन क्षेत्र पदा0 द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्ताव मे संलग्न नहीं है।
13. Resettlement & rehabilitation plan संलग्न नहीं है।
14. KML file (generated) of map of outer boundary of mining lease area संलग्न नहीं है।
15. regarding barest and minimum use of forest land वचनबद्धत्ता प्रमाण–पत्र (Undertaking) संलग्न नहीं है।

16. Regarding any work carried out in violation of the act or guidelines issued under 1980 वचनबद्धत्ता प्रमाण–पत्र (Undertaking) संलग्न नहीं है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी KML का area 7.49 ha and applied forest area 7.52 ha में भिंन्नता है।
18. फार्म –ए पार्ट –I का कंडिका c(iv) में अपलोड की गयी Geo-reference का पी०डी०एफ० फाईल नहीं परिलक्षित हो रहा है, इसे पुनः अपलोड करना आवश्यक है।
19. डी०जी०पी०एस० सर्वे फाइल / के०एम०एल० का सी०डी० संलग्न नहीं है।

अतः वन संरक्षक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में पांच प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों / श्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव अविलंब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

13.12.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।